कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001
email-jdajodhpur@yahoo.com वेब-साईट https://urban.rajasthan.gov.in/joda Phone No. 0291-2612086/2656355-7

क्रमांक/बैठक/2023/2036 दिनांक ::24 फरवरी, 2023

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक श्री नवनीत कुमार, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में दिनांक 24 फरवरी, 2023 को मध्यान्ह पश्चात् 4.00 बजे आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित सदस्य/अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 23 जनवरी 2023 मे लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

गत बैठक दिनांक **23 जनवरी 2023** का कार्यकारी समिति विवरण जारी किया जाकर सभी को प्रेषित किया जा चुका है। अतः कार्यकारी समिति की गत बैठक **23 जनवरी 2023** का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक 23 जनवरी, 2023 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि करते हुए जारी कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: ग्रेच्यूटी राशि के भुगतान में हुए विलम्ब अवधि का देय ब्याज के भुगतान बाबत्।

क्रं. सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा/प्रस्ताव
01.	संयुक्त शासन सचिव–तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक प.5(7)नविवि/II/2017 दिनांक 24.01.2023 के अन्तर्गत श्री मोहन लाल शर्मा, सेवानिवृत अधिशाषी अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा ग्रेच्यूटी भुगतान में विलम्ब अवधि का ब्याज दिलाने के संबंध में राजस्थान पेंशन नियम 89(6)(ii)क के आधार पर ग्रेच्यूटी भुगतान में विलम्ब अवधि के ब्याज की देयता बनती हो तो कार्यकारी समिति की अनुशंषा बाबत् प्रस्तुत हैं।	एजेण्डा कार्यकारी समिति की बैठक में रखने की अभिशंषा की जाती हैं।

संयुक्त शासन सचिव–तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक प. 5(7)नविवि/II/2017 दिनांक 24.01.2023 के अन्तर्गत श्री मोहन लाल शर्मा, सेवानिवृत अधिशाषी अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा ग्रेच्यूटी भुगतान में विलम्ब अवधि का ब्याज दिलाने के संबंध में राजस्थान पेंशन नियम 89(6)(ii)क के आधार पर ग्रेच्यूटी भुगतान में विलम्ब अवधि के ब्याज की देयता बनती हो तो कार्यकारी समिति की अनुशंषा सहित प्रकरण भिजवाये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

संयुक्त शासन सचिव–तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प. 5(7)नविवि/II/2017 दिनांक 18.01.2022 के अन्तर्गत श्री मोहन लाल शर्मा, अधिशाषी अभियन्ता के

दिनांक 30.04.2018 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सरकारी सेवा से सेवानिवृति के आदेश जारी किये गये।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 18.01.2022 को आदेश जारी किया गया जिसमें श्री शर्मा के विरूद्ध कोई न्यायिक कार्यवाही/जाँच इत्यादि लम्बित नहीं होने के आदेश प्रदत किये गये हैं।

श्री मोहन लाल शर्मा, सेवानिवृत अधिशाषी अभियन्ता का पेंशन प्रकरण तैयार कर दिनांक 12.03.2022 को राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाया गया।

कार्यालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जोधपुर द्वारा दिनांक 20.09.2022 को श्री शर्मा का पी.पी.ओ. जारी किया गया।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा प्राप्त पी.पी.ओ. के आधार पर जरिये आदेश क्रमांक 4261 दिनांक 09.11.2022 को ग्रेच्यूटी राशि रूपये 17,97,279/— का भुगतान किया गया।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान उपस्थित निदेशक–वित्त द्वारा अवगत कराया गया कि वित्त विभाग (रूल्स डिविजन) के नोटिफिकेशन कमांक एफ. 15 (3) एफ डी (रूल्स) / 97 पार्ट–1 दिनांक 9 सितम्बर, 2008 के अनुसार उपरोक्त प्रकरण में कार्मिक के जांच में दोष मुक्त होने की स्थिति में ग्रैच्यूटी राशि पर ब्याज देय है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन कर प्रकरण में विलम्ब से भुगतान की गई गेच्युटी राशि पर नियमानुसार ब्याज देने की कार्यकारी समिति की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 :: ग्रेच्यूटी राशि के भुगतान में हुए विलम्ब अवधि का देय ब्याज के भुगतान बाबत्।

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा/प्रस्ताव
01.	संयुक्त शासन सचिव–तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक प. 5(17)नविवि/II/2020 पार्ट दिनांक 24.01.2023 के अन्तर्गत श्री घनश्याम पंवार, सेवानिवृत सहायक अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा ग्रेच्यूटी भुगतान में विलम्ब अवधि का ब्याज दिलाने के संबंध में राजस्थान पेंशन नियम 89(6)(ii)क के आधार पर ग्रेच्यूटी भुगतान में विलम्ब अवधि के ब्याज की देयता बनती हो तो कार्यकारी समिति की अनुशंषा बाबत् प्रस्तुत हैं।	एजेण्डा कार्यकारी समिति की बैठक में रखने की अभिशंषा की जाती हैं।

संयुक्त शासन सचिव–तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक प. 5(17)नविवि/II/2020 पार्ट दिनांक 24.01.2023 के अन्तर्गत श्री घनश्याम पंवार, सेवानिवृत सहायक अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा ग्रेच्यूटी भुगतान में विलम्ब अवधि का ब्याज दिलाने के संबंध में राजस्थान पेंशन नियम 89(6)(ii)क के आधार पर ग्रेच्यूटी भुगतान में विलम्ब अवधि के ब्याज की देयता बनती हो तो कार्यकारी समिति की अनुशंषा सहित प्रकरण भिजवाये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प. 5(17)नविवि/II/2020 पार्ट दिनांक 15.12.2020 के अन्तर्गत श्री घनश्याम पंवार, अधिशाषी अभियन्ता के दिनांक 31.12.2020 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सरकारी सेवा से सेवानिवृति के आदेश जारी किये गये।

राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी उपरोक्तादेश दिनांक 15.12.2020 को अधिक्रमित कर दिनांक 07.07.2021 को नवीन आदेश जारी किया गया जिसमें श्री पंवार के विरूद्ध कोई न्यायिक कार्यवाही/जाँच इत्यादि लम्बित नहीं होने के आदेश प्रदत किये गये हैं।

श्री घनश्याम पंवार, सेवानिवृत अधिशाषी अभियन्ता का पेंशन प्रकरण तैयार कर दिनांक 13.07.2021 को राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाया गया।

कार्यालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जोधपुर द्वारा दिनांक 04.01.2022 को श्री पंवार का पी.पी.ओ. जारी किया गया।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा प्राप्त पी.पी.ओ. के आधार पर जरिये आदेश क्रमांक 91 दिनांक 10.01.2022 को ग्रेच्यूटी राशि रूपये 19,34,361/– का भुगतान किया गया।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान उपस्थित निदेशक–वित्त द्वारा अवगत कराया गया कि वित्त विभाग (रूल्स डिविजन) के नोटिफिकेशन कमांक एफ. 15 (3) एफ डी (रूल्स) / 97 पार्ट–1 दिनांक 9 सितम्बर, 2008 के अनुसार उपरोक्त प्रकरण में कार्मिक के जांच में दोष मुक्त होने की स्थिति में ग्रैच्यूटी राशि पर ब्याज देय है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन कर प्रकरण में विलम्ब से भुगतान की गई गेच्युटी राशि पर नियमानुसार ब्याज देने की कार्यकारी समिति की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 :: प्राधिकरण में कम्प्यूटराईजेशन अप्रेल 2023 से मार्च 2025 तक NICSI के माध्यम से करवाने बाबत्।

प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है।	प्राधिकरण में उपरोक्त कम्प्यूटरईजेशन हेतु NICSI नई दिल्ली को लगभग वार्षिक 70 लाख रूपये का NICSI नई दिल्ली को अग्रिम भुगतान किया जाना है।

NICSI भारत सरकार का विभाग है जिसका उद्देश्य सरकारी विभागों में ई–गवर्नेश को बढ़ावा देना है।

प्राधिकरण में फरवरी 2013 से अब तक किया गया कम्प्यूटराईजेशन NICSI द्वारा संतोषजनक रहा है। वर्तमान में प्राधिकरण में पहले से चल रहे विकसित विभिन्न पोर्टलों का मेंटेनेंस फाईल ट्रैकिंग सिस्टम (FTS), IDMS, Salary and Pension, बेचान अनुमति मैनेजमेन्ट सिस्टम, अनापत्ति प्रमाण पत्र, ऑनलाइन भुगतान, प्राधिकरण की नवीन आवासीय एवं व्यवसयिक स्कीम के आवेदन, कम्प्यूटराईज लॉटरी, अकाउण्ट सिस्टम, स्कैनिंग, प्राधिकरण के द्वारा जारी किये जानें वाले पट्टों की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनें हेतु पोर्टल, एवं Layout Plan Approval Tracking आदि एवं नए पोर्टल को विकसित

करना, इत्यादि महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर कार्य किया जा रहा है। उक्त कार्य को निरन्तर NICSI से करवाने की स्वीकृति हेतु पत्रावली प्रस्तुत है।

प्राधिकरण में उपरोक्त कम्प्यूटरईजेशन हेतु NICSI नई दिल्ली को लगभग वार्षिक **70 लाख रूपये** का NICSI नई दिल्ली को अग्रिम भुगतान किया जाना है।

अतः प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करवाने तथा अग्रिम भुगतान के अनुमोदन हेतु एजेण्डा नोट बनाकर पत्रावली कार्यकारी समिति के सक्षम निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तुत प्रकरण का विस्तृत परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 5 :: माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में पैरवी हेतु पैनल अधिवक्ता के नियुक्ति का कार्योतर स्वीकृति प्रस्ताव बाबत।

जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में पैरवी हेतु श्री दिलीप कावडिया पैनल अधिवक्ता की नियुक्ति, कार्यालय आदेश कमांकः F–42/विधि/जेडीए /2023/5589, दिनांक 15.02.2023 द्वारा कार्यकारी समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में की गई थी।

पैनल अधिवक्ता का विवरण निम्नानुसार है :–

नाम : श्री दिलीप कावडिया
पता : 7–ए/ स्टील फ्लोर, उम्मेद हेरिटेज डिफेन्स लेब रोड़
एयरफोर्स, जोधपुर – 342001
पंजीयन संख्या : आर/509/2006
मो.नं. : 9414476568

खर्चे एवं नियुक्ति की शर्ते :–

<u>पैनल अधिवक्ता को निम्नानुसार फीस एवं खर्चे देय होंगे :–</u>

1. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर – प्रति प्रकरण 7,000/–मात्र
2. अन्य खर्चे :– राजस्थान सरकार के विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा निर्धारित

<u>शर्ते :–</u>

1. उक्त नियुक्त अधिवक्ता को प्राधिकरण को यह लिखित में अण्डरटेंकिग देना होगा कि उनके द्वारा प्राधिकरण के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण पैरवी हेतु नहीं लिया जावेगा।
2. प्राधिकरण के संबंधित किसी भी मुकदमें का निर्णय होने पर सम्बन्धित अधिवक्ता का उस मुकदमें की पत्रावली व प्राधिकरण की पत्रावली मय निर्णय पर अग्रिम कार्यवाही सम्बन्धित अपनी रिपोर्ट भेजने के पश्चात ही उसको मेहनताना का अन्तिम भुगतान किया जाएगा। यह कार्यवाही प्रभारी अधिकारी विधि शाखा/विधि अधिकारी सुनिश्चित करेगें।
3. नियुक्त अधिवक्ता प्रकरण की तारीख पेशियों से पूर्व प्रभारी अधिकारी को अवगत करायेगें। जवाब दावा तैयार करने में प्रभारी अधिकारी की ओर से देरी होने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करायेगें।
4. निर्णय होने के 7 दिवस में निर्णय की प्रति मय राय से अवगत करायेगें। यदि न्यायालय द्वारा प्रमाणित प्रति उक्त अवधि में नहीं दी जाती हैं तो मौखिक रूप से प्रभारी अधिकारी को सूचित करेंगें।
5. प्राधिकरण संबंधित पूर्व में जो प्रकरण विभिन्न न्यायालय में निर्णित हो गये हैं उनके अधिवक्ता से भी आग्रह है कि कृपया उन मुकदमों की पत्रावलियों एवं प्राधिकरण की संबंधित पत्रावलियां जो भी आपके पास हो उन्हे आगामी एक माह में प्रभारी अधिकारी/विधि शाखा/विधि अधिकारी को सम्भालने का कष्ट करावें।
6. नियुक्त अधिवक्ता उन्हें आंवटित प्रकरणों की मासिक प्रगति से निर्धारित प्रारूप में निदेशक (विधि) को अवगत करायेगें।

7. पैनल अधिवक्ता की नियुक्ति की शर्तों एवं भुगतान के संबंध में जहां प्राधिकरण द्वारा कोई प्रावधान नहीं किये गये हैं। वहां विधि विभाग राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/आदेश लागू होगें।

उक्तानुसार श्री दिलीप कावडिया, अधिवक्ता को राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में प्राधिकरण की ओर से पैरवी के लिए अधिवक्ता नियुक्ति का कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव कार्यकारी के समक्ष रखा जाना प्रस्तावित है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 :: **राजस्व ग्राम तनावड़ा तहसील लूणी के खसरा संख्या 183, 184, 185, 186, 189 व 218 एवं राजसव ग्राम सालावास रेल्वे स्टेशन के खसरा संख्या 674 में प्राधिकरण स्वामित्व की 18.6559 है. भूमि इनलेण्ड कन्टेनर डिपों (आई.सी.डी.) के विस्तारीकरण प्रयोजनार्थ राजस्थान लघु उद्योग निगम लि. (राजसिको) को भूमि आवंटन के संबधं में।**

क.स.	**प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा**	**प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव**
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजस्व ग्राम तनावड़ा तहसील लूणी के खसरा संख्या 183, 184, 185, 186, 189 व 218 एवं राजसव ग्राम सालावास रेल्वे स्टेशन के खसरा संख्या 674 में प्राधिकरण स्वामित्व की 18.6559 है. भूमि इनलेण्ड कन्टेनर डिपों (आई.सी.डी.) के विस्तारीकरण प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

प्रबन्ध निदेशक राजस्थान लघु उद्योग निगम लि. (राजसिको) जयपुर के पत्रांक राजसिको/ईआईएस/2021-2022/9107 दिनांक 02.11.2022 द्वारा जोधपुर में अतिरिक्त इनलेण्ड ड्राइपोर्ट की स्थापना हेतु भूमि आवंटन के लिये निर्धारित प्रपत्र-स प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम तनावड़ा तहसील लूणी के खसरा संख्या 183, 184, 185, 186, 189 एवं राजस्व ग्राम सालावास रेल्वे स्टेशन के खसरा संख्या 674 में प्राधिकरण स्वामित्व की 19.352 है. भूमि इनलेण्ड कन्टेनर डिपों (आई.सी.डी.) के विस्तारीकरण प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की मांग की गई है।

जोन राजस्व टीम की मौका जांच कर निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम तनावड़ा तहसील लूणी के खसरा संख्या 183, 184, 185, 186, 189 एवं राजस्व ग्राम सालावास रेल्वे स्टेशन के खसरा संख्या 674 में प्राधिकरण स्वामित्व की 19.352 है. किस्म गै.मु. गोचर भूमि राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि खाली है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम तनावड़ा तहसील लूणी के खसरा संख्या 183, 184, 185, 186, 189 एवं राजसव ग्राम सालावास रेल्वे स्टेशन के खसरा संख्या 674 मे वेयर हाउस बनाये जाने हेतु जोन चिन्हिकरण किया जाना प्रस्तावित है, वर्तमान में मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 एवं जोनल डवलपमेन्ट प्लान में उक्त प्रश्नगत क्षेत्र का भू-उपयोग आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। मास्टर प्लान की आवासीय डीसीआर अनुसार अज्वलनशील गोदाम को 24 मीटर (80 फीट) व अधिक सड़क मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2020 के अनुसार वेयर हाउसिंग/गोदाम उपयोग को मास्टर प्लान के प्रतिबंधित भू-उपयोग को छोड़कर अन्य सभी उपयोगों में अनुज्ञेय किया गया है व समस्त नगर निकायों द्वारा उक्तानुसार प्रभावी मास्टर प्लान में वेयरहाउसिंग/गोदाम हेतु जोन का चिन्हिकरण किया जाना आवश्यक है। जिसके संबंध में आयोजना

शाखा द्वारा प्राधिकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 26.04.2022 के प्रस्ताव सख्या 38 में उक्त प्रकरण के संबंध में नियमानुसार प्रस्ताव को स्वीकृत/अनुमोदन करने की अभिशंषा के साथ आगामी प्राधिकरण बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात प्राधिकरण बैठक दिनांक 18.05.2022 के प्रस्ताव संख्या 07 के अनुसार राजस्व ग्राम तनावड़ा तहसील लूणी के खसरा संख्या 183, 184, 185, 186, 189 एवं राजस्व ग्राम सालावास रेल्वे स्टेशन के खसरा संख्या 674 में वेयर हाउसिंग/गोदाम हेतु जोन चिन्हिकरण को स्वीकृत/अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार राजस्व ग्राम तनावड़ा तहसील लूणी के खसरा संख्या 183, 184, 185, 186, 189 एवं राजस्व ग्राम सालावास रेल्वे स्टेशन के खसरा संख्या 674 की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

हस्तगत प्रकरण मे प्रसंगानुसार राजस्व ग्राम तनावड़ा तहसील लूणी के चिन्हित खसरा संख्या 183, 189, व 218 के स्थान पर रेल्वे लाईन के निकट राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा संख्या 183 रकबा 5.9974 है. किस्म गै.मु. गोचर, खसरा सख्या 184 रकबा 0.2671 है. किस्म चाही–पंचम, खसरा संख्या 185 रकबा 0.0405 किस्म गै.मु. बेरा, खसरा संख्या 186 रकबा 1.4164 हे. किस्म चाही–पंचम, खसरा संख्या 189 रकबा 10.5380 है. किस्म गै.मु. गोचर, एवं ग्राम सालावास रेल्वे स्टेशन खसरा संख्या 674 रकबा 1.0926 है. किस्म बारानी–द्वितीय कुल 19.352 है. को आवंटित करने हेतु लिखा गया हैं।

अतः पूर्व में जोन चिन्हिकरण की कार्यवाही को संशोधित करते हुये पुनः उक्तानुसार खसरा संख्या 183, 184, 185, 186, 189 ग्राम तनावडा एवं खसरा संख्या 674 ग्राम सालावास रेल्वे स्टेशन के जोन चिन्हिकरण की कार्यवाही की प्रत्याशा में एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में राज्य सरकार के समक्ष राजस्व ग्राम तनावडा तहसील लूणी के खसरा संख्या 183 रकबा 5.9974 है. किस्म गै.मु. गोचर, खसरा संख्या 184 रकबा 0.2471 है. किस्म चाही–पंचम, खसरा संख्या 185 रकबा 0.0405 है. किस्म गै.मु. बेरा, खसरा सख्यां 186 रकबा 1.4164 है. किस्म चाही–पंचम, खसरा संख्या 189 रकबा 10.5380 है. किस्म गै.मु. गोचर व ग्राम सालावास रेल्वे स्टेशन खसरा संख्या 674 रकबा 1.0926 है. किस्म बारानी द्वितीय में राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को आईसीडी जोधपुर के विस्तारीकरण हेतु रकबा 19.352 है. सशुल्क भूमि आवंटन की स्वीकृति हेतु प्रकरण पत्र क्रमांक– 1514 दिनांक 12.10.2022 के जरिये प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में राज्य सरकार को आवंटन की सक्षम स्वीकृती हेतु प्रेषित किया गया।

राज्य सरकार से पत्र दिनांक 30.11.2022 को आरक्षित दर की 50 प्रतिशत राशि पर भूमि आवंटन की स्वीकृति प्राप्त हुई। आवंटन की स्वीकृति के पश्चात प्रबन्ध निदेशक राजस्थान लघु उद्योग निगम लि. (राजसिको) जयपुर को पत्रांक 1578 दिनांक 05.12.2022 को आवंटन राशि चालीस करोड बहत्तर लाख एक सौ चालीस रूपय प्राधिकरण कोष में जमा करवाने हेतु मांग पत्र जारी किया गया। प्रबन्ध निदेशक राजसिकों जयपुर द्वारा पत्रांक राजसिको/ईआईएस/2022–2023/10372 दिनांक 14.12.2022 को प्रेषित कर खसरा संख्या 183 की पूर्व में आवंटित लगभग 5.9974 हैक्टेयर भूमि में से नदी की सीमा से लगती हुई लगभग 13000 वर्गमीटर भूमि को कम करते हुए इसके स्थान पर खसरा संख्या 205, 206 व 218 जिसका कुल क्षेत्रफल 7750 वर्गमीटर है, आईसीडी के उपयोग के लिए उपयुक्त प्रतीत होती हैं। पूर्व पत्र दिनांक 05.12.2022 के आवंटन में आंशिक संशोधन करते हुए खसरा संख्या 183 में कुल भूमि में से नदी क्षेत्र में आ रही 13000 वर्गमीटर क्षेत्रफल को कम करते हुए खसरा संख्या 205, 206 व 218 के कुल क्षेत्रफल मे से 7750 वर्गमीटर अतिरिक्त भूमि को आवंटन में शामिल करते हुए संशोधित आवंटन पत्र जारी कराने की मांग की गई। प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में कार्यकारी समिति की प्रत्याक्षा में संशोधित स्वीकृति हेतु पत्रांक 1605 दिनांक 03.01.2023 को लिखा गया। राज्य सरकार से पत्र दिनांक 23.01.2023 को आरक्षित दर की 50 प्रतिशत राशि पर भूमि आवंटन की संशोधित स्वीकृति प्राप्त हुई। प्रकरण में प्रबन्ध निदेशक (राजसिको) जयपुर को आवंटन राशि जमा करवाने हेतु प्राधिकरण द्वारा क्रमांक– एफ–46/आवंटन(जोन–3)/2023/8950 दिनांक 25/01/2023 को मांग पत्र जारी किया गया। प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की बैठक दिनांक 16.02.2023 प्रस्ताव संख्या 6 में रखा गया। बैठक में बाद विचार विर्मश बाद समिति से प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए राज्य सरकार

से प्राप्त निर्देशानुसार प्रकरण आगामी कार्यकारी समिति में विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष भूमि आवंटन एवं जोन चिन्हीकरण की कार्यवाही हेतु उचित विचारार्थ एवं निर्णायार्थ पेश हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 :: मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031/जोनल डवलपमेंट प्लान में प्रस्तावित अन्य सामुदायिक सुविधाओं (O.C.F.) हेतु चिन्हित क्षेत्रों में अनुज्ञेय किये जाने वाले उपयोगों का निर्धारण बाबत्।

जोधपुर शहर का मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 दिनांक 18.02.2021 को अधिसूचित किया गया। उक्त मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 के अन्तर्गत विभिन्न भू–उपयोगों के अन्तर्गत अनुज्ञेय गतिविधियों हेतु डी.सी.आर. का प्रावधान किया गया है जिसमें आवासीय, व्यवसायिक, सार्वजनिक–अर्द्वसार्वजनिक, औद्योगिक, मनोरंजन, मिश्रित भू–उपयोग, नगरीय क्षेत्र (यू–2), हाईवे कोरिडोर जोन (यू–3), ग्रामीण क्षेत्र, फेस्टीवल सिटी/टूरिस्ट फेसिलटीज, कॉरपोरेट पार्क, स्पोर्टस् सिटी, नोलेज एण्ड हैल्थ केयर सिटी, संस्थानिक आदि (प्रष्ठ संख्या 1–13/सी) भू–उपयोगों में विभिन्न गतिविधियों को उल्लेखित करते हुए अनुज्ञेय किया गया है।

भू–उपयोग योजना मानचित्र 2031 में अन्य सामुदायिक सुविधाओं (O.C.F.) हेतु क्षेत्र प्रस्तावित करते हुए मास्टर डवलपमेंट प्लान की रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 5.6.4 (प्रष्ठ संख्या 14–16/सी) में अन्य सामुदायिक सुविधाए हेतु निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :–

"अन्य उपयोगिताऐं एवं सेवाऐं जैसे–टेलीफोन लाईन, डाक व तार घर, पुलिस थानें, दूरभाष केन्द्र, क्लब सिनेमा हाल, युवा केन्द्र आदि अन्य सामुदायिक सुविधाओं के लिए प्रत्येक क्षेत्र में प्रावधान किया गया हैं। आवासीय क्षेत्रों का वितरण विकास के घनत्व क्षेत्र की स्थानीय विशेषताओं और भविष्य में विकास की संभावनाओं आदि तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए इन सुविधाओं के लिए विभिन्न स्तर पर उचित स्थल आरक्षित किये गये हैं। जोधपुर संभाग में स्थित जैसलमेर जिले में स्थित रामदेवरा धार्मिक स्थल स्थित हैं जहाँ प्रतिवर्ष पैदल यात्रीगण जोधपुर शहर से होते हुए रामदेवरा जाते हैं। पैदल चलने वाले यात्रिगणों हेतु कोई अलग से पैदल पथ नहीं होने से यात्री सड़क पर चलते हैं जिससे प्रतिवर्ष काफी दुर्घटनाएं भी होती है। अतः उक्त दुर्घटनाओं को नियंत्रित किया जा सके इस हेतु जोधपुर से रामदेवरा तक डेडीकेटेड पैदल पाथ प्रस्तावित किया जाकर उस पथ के सहारे–सहारे यात्रियो के लिए उपयुक्त स्थलों पर सुविधा स्थल विकसित किया जाना प्रस्तावित हैं एवं जोधपुर शहर में भी रामदेवरा जाने वाले यात्रियों के लिए सुविधा स्थल विकसित किये जा सकेंगे, इस हेतु विस्तृत योजना तैयार की जा सकेगी।"

मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 में प्रस्तावित ओ.सी.एफ भू–उपयोग की पृथक से डी.सी.आर. नही है, जिससे मास्टर डवलपमेंट प्लान में प्रस्तावित ओ.सी.एफ. के अन्तर्गत अन्य संबंधित गतिविधियां अनुज्ञेय किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है तथा साथ ही अंतिम भू–उपयोग (End use) निर्धारण किये जाने में स्पष्टता एवं पारदर्शिता की आवश्यकता है।

मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031/जोनल डवलपमेंट प्लान में अन्य सामुदायिक सुविधाओं (O.C.F.) हेतु क्षेत्रों को राजकीय एवं निजी भूमि पर प्रस्तावित किया गया है। मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 में विभिन्न भू–उपयोगों हेतु डी.सी.आर बनाई गई है जिसमें ओसीएफ के अंतर्गत अनुज्ञेय उपयोगों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्रम संख्या	मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 में प्रस्तावित भू–उपयोग	डी.सी.आर. अनुसार अन्य सामुदायिक सुविधाओं (O.C.F.) में अनुज्ञेय उपयोग
1.	आवासीय / वाणिज्यिक / सार्वजनिक / अर्द्ध–सार्वजनिक	अनाथालय, वृद्वाश्रम, हॉस्टल व धर्मशाला
2.	औद्योगिक	अनाथालय व वृद्वाश्रम
3.	फेस्टिवल सिटी / ट्यूरिस्ट फेसिलिटीज	धर्मशाला व खुली एवं मल्टीलेवल पार्किंग
4.	कॉरपोरेट पार्क / स्पोर्ट्स सिटी	लाईब्रेरी व खुली एवं मल्टीलेवल पार्किंग
5.	नॉलेज एवं हेल्थ केयर सिटी	लाईब्रेरी

राजस्थान के अन्य शहरों यथा अलवर, बीकानेर, कोटा, भिवाड़ी, उदयपुर आदि के मास्टर प्लान (प्रष्ठ संख्या 17–31/सी) में अन्य सामुदायिक सुविधाओं (O.C.F.) हेतु प्रस्तावित क्षेत्रों में अग्निशमन सेवा केन्द्र, सूचना केन्द्र, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केन्द्र, राजकीय विश्राम गृह एवं डाक बंगला, टाउन हॉल, श्मशान/कब्रिस्तान, ऑडिटोरियम, पुलिस थाना/पुलिस चौकी, स्टेशन, डाक–तार घर/पोस्ट ऑफिस, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाऐं, धार्मिक संस्थाऐं, सरकारी व्यायामशाला, आंगनबाड़ी केन्द्र, रंगमंच, सामुदायिक केन्द्र/सामुदायिक भवन, पुस्तकालय, वाचनालय, तरणताल, थियेटर, म्यूजियम, पब्लिक लाइब्रेरी, क्लब, धर्मशालाएँ, यूथ हॉस्टल/महिला हॉस्टल, विवाह समारोह स्थल इत्यादि जन सुविधाऐं अनुज्ञेय किये गये है।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 03.06.2022 को जारी आदेश में "राज्य के समस्त शहरों के मास्टर प्लान/जोनल डवलपमेंट प्लान में प्रस्तावित भू–उपयोग यथा–पार्क, खुले–स्थल, ईको–सेंसिटिव जोन, प्लान्टेशन जोन एवं ईकोलोजिकल जोन तथा जयपुर एवं उदयपुर मास्टर प्लान एवं अन्य शहरों के मास्टर प्लान के अन्तर्गत G+1 एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित प्रतिबंधित क्षेत्र को छोडकर नगरीय क्षेत्र में अन्य सभी भू–उपयागों में केन्द्र/राज्य सरकार की योजनाओं के अन्तर्गत राजकीय भूमि पर प्रस्तावित राजकीय कार्यालयों, राजकीय सामुदायिक भवन, राजकीय शैक्षणिक, राजकीय चिकित्सा एवं सामाजिक सुविधाऐं, सरकारी/अर्द्वसरकारी प्रशिक्षण संस्थान, रीजनल/सिटी लेवल पार्क व अन्य खुले स्थल, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति पार्क, खेल–मैदान, स्टेडियम (इनडोर/ऑउट डोर), स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, जनउपयोगी सुविधाऐं यथा–सीवरेज ट्रिटमेंट प्लांट, ग्रिड सब–स्टेशन, जल आपूर्ति केन्द्र, वॉटर फिल्टर एवं ट्रीटमेंट प्लांट, पुलिस लाईन, पुलिस चौकी/थाना, डाकघर, टेलिफोन एक्सचेंज, अग्निशमन केन्द्र, श्मशान, कब्रिस्तान, पार्किंग स्थल, बस स्टैण्ड/बस स्टॉप, हेलीपेड, रेलवे/आर्मी विभाग की भूमि पर उनके द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग, टाउन हॉल, डेयरी बूथ, सुलभ शौचालय इत्यादि सुविधाऐं अनुज्ञेय किये जा सकते है। इसके लिए भू–उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नही होगी, का उल्लेख किया गया है।

मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 के अन्तर्गत डी.सी.आर. के अन्त में उल्लेखित सामान्य शर्तों के बिन्दु संख्या 7 में "The State Government may add/delete any use or modify the technical parameters for any activity" का उल्लेख किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031/जोनल डवलपमेंट प्लान में प्रस्तावित अन्य सामुदायिक सुविधाओं (O.C.F.) हेतु चिन्हित क्षेत्रों में निम्नांकित गतिविधियां अनुज्ञेय किया जाना प्रस्तावित है :–

01. सामुदायिक भवन/सामुदायिक केन्द्र
02. पार्क/सामुदायिक ओपन स्पेस/ऑपन एयर थियेटर
03. धार्मिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक केन्द्र/रंगमंच
04. सभागार ऑडिटोरियम/टाउन हॉल/सभा भवन
05. अग्निशमन सेवा केन्द्र
06. पुलिस स्टेशन/पुलिस चौकी
07. सूचना केन्द्र
08. पोस्ट ऑफिस
09. राजकीय विश्राम गृह एवं डाक बंगला
10. परिवहन सेवा/बस स्टेंड/स्टेशन इत्यादि
11. राजकीय शैक्षणिक, राजकीय चिकित्सा एवं सामाजिक सुविधाऐं
12. श्मशान, कब्रिस्तान/सीमेट्री
13. खुली एवं मल्टीलेवल पार्किंग
14. सरकारी व्यायामशाला

15. धर्मशाला
16. सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालय
17. सार्वजनिक पुस्तकालय
18. आंगनबाड़ी केन्द्र
19. वृद्धाश्रम
20. खेल मैदान/स्टेडियम/स्पोर्ट्स एकेडमी/तरणताल
21. अनाथालय
22. योगा/मेडिटेशन सेन्टर
23. आपदा प्रबंधन सेन्टर
24. प्रदर्शिनी/मेला स्थल
25. सार्वजनिक प्याऊ/सुलभ शौचालय
26. सरकारी भूमि पर विवाह समारोह स्थल
27. निजी भूमि पर धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर, गुरूद्वारा आदि)
28. सामुदायिक भोजनशाला

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए प्रकरण प्राधिकरण बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा कौशल विकास केन्द्र को भी उक्त गतिविधियों के साथ सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 8 :: प्राधिकरण की विवेक विहार योजना में व्यवसायिक भूखण्डों पर अतिक्रमण से प्रभावित भूखण्डों के संबंध में।

विवेक विहार व्यवसायिक योजना में कुछ भूखण्डों पर अतिक्रमण होने के कारण आवेदक को कब्जा सुपुर्द किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। उक्त व्यवसायिक ब्लॉक को आरक्षित किया जाकर अतिक्रमित आवंटित भूखण्डों के एवज में इन प्रभावित आवंटित भूखण्डों के बदले आरक्षित स्थान पर भूखण्ड शिफ्ट किये जाने एवं उक्त के क्रम में आवंटन हेतु उचित स्थान का विवेक विहार व्यवसायिक योजना में चिन्हिकरण करने हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भवन मानचित्र समिति जोन–2(ले–आउट प्लान) की 01/2022 की बैठक दिनांक 20.12.2022 में एजेण्डा संख्या 16 में रखा गया, जिसमें **"समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श जोन उपायुक्त को विवेक विहार व्यवसायिक योजना/ब्लॉक में अतिक्रमित समस्त भूखण्डों की साईज व संख्या मय उल्लेख करते हुए प्रस्ताव भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।"**

प्राधिकरण की उक्त भवन मानचित्र समिति जोन–2(ले–आउट प्लान) की बैठक के निर्णय की अनुपालना में विवेक विहार व्यवसायिक योजना के ग्राम सांगरिया के अवार्डियों को आवंटित अतिक्रमित भूखण्डों का विवरण मय साईज, भूखण्ड सख्या, अवार्ड संख्या एवं कनिष्ठ अभियंता की मौका रिपोर्ट सहित नीचे वर्णित सारणी में प्रस्तुत है। अतः उक्त प्रकरण में आवंटन हेतु उचित स्थान का विवेक विहार व्यवसायिक योजना में चिन्हिकरण किया जाकर आवंटन/लॉटरी की जानी है। प्रकरण निर्णयाथ कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

अतिक्रमित भूखण्डों का विवरण :–

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	साईज	क्षेत्रफल व.ग.	अवार्ड संख्या	कनिष्ठ अभियंता की मौका स्थिति
1	J-1/60/5	10'x20'	22.22	418/3	अतिक्रमण
2	J-1/60/6	10'x20'	22.22	418/3	अतिक्रमण
3	J-1/60/7	10'x20'	22.22	418/3	अतिक्रमण
4	J-1/60/8	10'x20'	22.22	418/2	अतिक्रमण
5	J-1/60/9	10'x20'	22.22	418/2	अतिक्रमण
6	J-1/60/10	10'x20'	22.22	418/2	अतिक्रमण
7	J-1/60/11	10'x20'	22.22	418/2	अतिक्रमण
8	J-1/60/12	10'x20'	22.22	418/2	अतिक्रमण
9	J-1/60/13	10'x20'	22.22	418/2	अतिक्रमण
10	J-1/60/14	10'x20'	22.22	418/2	अतिक्रमण
11	J-1/60/15	10'x20'	22.22	343	अतिक्रमण

12	J-1/60/16	10'x20'	22.22	343	अतिक्रमण
13	J-1/60/17	10'x20'	22.22	343	अतिक्रमण
14	J-1/60/18	10'x20'	22.22	343	अतिक्रमण
15	J-1/60/19	10'x20'	22.22	343	अतिक्रमण
16	J-1/60/20	10'x20'	22.22	343	अतिक्रमण
17	J-1/60/21	10'x20'	22.22	343	अतिक्रमण
18	J-1/160/3	51'x100'	566.66	365/2	अतिक्रमण
19	J-1/160/7	43'-6"x100'	483.33	343	अतिक्रमण
20	J-1/160/8	44'-6"x100'	494.44	412	अतिक्रमण

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से आवंटित भूखण्डों के बदले अन्यत्र समकक्ष भूखण्ड देने तथा मौके पर विद्यमान कब्जों को हटाने की कार्य योजना बनाने तथा यदि कोई प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन हो तो उस प्रकरण में प्रतिरक्षण की प्रभावी कार्यवाही कर प्राधिकरण का पक्ष रखने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 9 :: प्राधिकरण परिसर में स्थित नयी बिल्डिंग मे फर्नीचर आपूर्ति का कार्य

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार प्रस्तुत है	प्राधिकरण परिसर में स्थित नयी बिल्डिंग मे फर्नीचर आपूर्ति का कार्य प्रस्तुत दरो के अनुमोदन की अनुशंषा की जाती है।

प्राधिकरण परिसर में स्थित नयी बिल्डिंग मे फर्नीचर आपूर्ति के कार्य की दरो को कार्यकारी समिति (EC) की प्रत्याशा में स्वीकृति प्रदान की गई है।

Sr. no.	Category	Qty.	Unit Price	Total Price
1	Premium Suite Table the main desk	2	236465.00	472930.00
2	Premium Suite Side table ERU	2	65047.00	130094.00
3	Premium Suite side table Back unit	2	86287.00	172574.00
4	Premium Suite side table Tower unit	2	77740.00	155480.00
5	Bifma level 2 certified chair	3	43295.00	129885.00
6	Visitor chair	39	15447.00	602433.00
7	Sofa 3 seater	1	70168.00	70168.00
8	Sofa 1 seater	2	41855.00	83710.00
9	Coffee Table	1	23898.00	23898.00
10	Corner table	2	15562.00	31124.00
11	Sofa 1 seater	14	26493.00	370902.00
12	Sofa 3 Seater	7	42271.00	295897.00
13	Coffee Table	7	13423.00	93961.00
14	Corner table	4	8918.00	35672.00
15	Executive Table	2	172143.00	344286.00
16	Executive Table Back Unit	2	109754.00	219508.00
17	Revolving chair	4	21902.00	87608.00
18	Executive Table	9	100511.00	904599.00
19	Bifma Level 2 Chair High Back	2	16246.00	32492.00

20	Bifma Level 2 Chair Visitor	38	9577.00	363926.00
21	Revolving Chair High Back	4	11453.00	45812.00
22	Visitor Chair	12	7754.00	93048.00
23	Storage Cabinet	21	22860.00	480060.00
24	Steel Table	25	15954.00	398850.00
Sr. no.	**Category**	**Qty.**	**Unit Price**	**Total Price**
25	Steel Table	65	25189.00	1637285.00
26	Almirah with 3 Adjustable Shelves	30	21222.00	636660.00
27	Sofa 3 seater	1	46218.00	46218.00
28	Sofa 1 seater	2	27099.00	54198.00
29	Coffee Tale	1	17499.00	17499.00
30	Corner Table	2	13704.00	27408.00
31	Office Table	6	18258.00	109548.00
32	Office Table	3	24600.00	73800.00
33	Revolving Chair High Back	57	8766.00	499662.00
34	Revolving Chair Mid Back	6	7953.00	47718.00
35	Visitor chair	233	6578.00	1532674.00
36	Office Table	23	18756.00	431388.00
37	Office computer Table	11	14805.00	162855.00
38	Almirah with 4 adjustable Shelves	70	24533.00	1717310.00
39	Reception table	1	75790.00	75790.00
40	3 Drawer mobile pedestal	1	13068.00	13068.00
41	Waiting Chair	16	21059.00	336944.00
42	Providing And fixing partAtion	380	2900.00	1102000.00
		कुल कार्यादेश राशि		14160942.00

अतः प्रस्तुत दरो को कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से कार्यकारी समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में उपापन समिति द्वारा लिये गये निर्णय का अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 10 :: सम्राट अशोक उद्यान स्थित मुख्य गार्डन का प्रतिदिन का किराया निर्धारण बाबत।

क्रं सं.	प्रभारी अधिकारी एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व कार्यालय टिप्पणी अनुसार कोई तथ्य नहीं छिपाया गया है।	सम्राट अशोक उद्यान स्थित मुख्य गार्डन का प्रतिदिन का किराया निर्धारण बाबत।

सम्राट अशोक उद्यान मुख्य गार्डन में आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम हेतु आवंटन अनुमति जारी किये जाने से पूर्व आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार जोधपुर में सम्राट अशोक उद्यान में स्थित मुख्य गार्डन जोधपुर की प्रतिदिन की Short Booking की राशि न्यूनतम 10,000/— रूपये रखी जाने की अनुशंषा की जाती है।

15 अगस्त स्वाधीनता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती व अन्य राष्ट्रीय पर्वो के दिवसों में Short Booking नहीं की जाने की अनुशंषा की जाती हैं।

राजकीय आयोजन अथवा सरकारी विभाग के तत्वाधान में तथा एन. जी. ओ व अन्य चेरिटेबल संस्थाओं को एंवम जनहित में आयोजित किये जाने वाले योगा केम्प, चिकित्सा केम्प, हेरिटेज वॉक इत्यादि एंवम विभिन्न समाचार पत्रों द्वारा आयोजित किये जाने वाले सांस्कृतिक, सामाजिक या अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम इत्यादि आयोजित किये जाने के क्रम में उपरोक्त Short Booking निशुल्क, सशुल्क अथवा रियायत पर देने हेतु अन्तिम निर्णय सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एंवम निदेशक वित्त जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एंवम निदेशक अभियांत्रिकी जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की समिति आवश्यक निर्णय लेने हेतु सक्षम होगी, की अनुशंषा की जाती हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तुत प्रकरण का विस्तृत परीक्षण कर समस्त तथ्यों का समावेश कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 11 :: सम्राट अशोक उद्यान स्थित ओपन एयर थियेटर का प्रतिदिन का किराया निर्धारण बाबत।

क्रं सं.	प्रभारी अधिकारी एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व कार्यालय टिप्पणी अनुसार कोई तथ्य नहीं छिपाया गया है।	सम्राट अशोक उद्यान स्थित ओपन एयर थियेटर का प्रतिदिन का किराया निर्धारण बाबत।

सम्राट अशोक उद्यान ओपन एयर थियेटर में आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम हेतु आवंटन अनुमति जारी किये जाने से पूर्व आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार जोधपुर में सम्राट अशोक उद्यान में स्थित ओपन एयर थियेटर जोधपुर की प्रतिदिन Online Booking की राशि न्यूनतम 1,00,000/– रूपये रखी जाने की अनुशंषा की जाती है।

15 अगस्त स्वाधीनता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती व अन्य राष्ट्रीय पर्वो के दिवसों में Online Booking नहीं की जाने की अनुशंषा की जाती हैं।

राजकीय आयोजन अथवा सरकारी विभाग के तत्वाधान में तथा एन. जी. ओ व अन्य चेरिटेबल संस्थाओं को एंवम जनहित में आयोजित किये जाने वाले योगा केम्प, चिकित्सा केम्प, हेरिटेज वॉक इत्यादि एंवम विभिन्न समाचार पत्रों द्वारा आयोजित किये जाने वाले सांस्कृतिक, सामाजिक या अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम इत्यादि आयोजित किये जाने के क्रम में उपरोक्त Online Booking निशुल्क, सशुल्क अथवा रियायत पर देने हेतु अन्तिम निर्णय सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एंवम निदेशक वित्त जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एंवम निदेशक अभियांत्रिकी जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की समिति आवश्यक निर्णय लेने हेतु सक्षम होगी, की अनुशंषा की जाती हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तुत प्रकरण का विस्तृत परीक्षण कर समस्त तथ्यों का समावेश कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 12 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के प्रवर्तन एवं सतर्कता सेवा हेतु कैडर रिव्यू प्रस्ताव के क्रम मे सम्पूर्ण पदो का "जॉब चार्ट" का कार्यकारी समिति में अनुमोदन करवाये जाने के संबंध मे।

क्रं. सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा/प्रस्ताव
01.	प्राधिरकण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 का बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक/बैठक/2023/1967 दिनांक 23.01.2023 के प्रस्ताव संख्या 03 मे वर्णित पदो का जॉव चार्ट तैयार करवाया जाकर उसका कार्यकारी समिति की बैठक मे अनुमोदन बाबत् निर्णय लिया गया अतः निर्णय की पालना मे एजेण्डा उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	एजेण्डा प्राधिकरण बैठक में रखने की अभिशंषा की जाती हैं।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के प्रवर्तन एवं सतर्कता सेवा मे स्वीकृत व नवीन पदों हेतु कैडर स्ट्रैन्थ तथा उसका जॉब चार्ट विवरण

क्रं. सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अतिरिक्त वांछित पद	कुल पद	पद का जॉब चार्ट
01.	मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन	1	—	1	—	1	प्रवर्तन एवं सतर्कता शाखा के प्रभारी अधिकारी होंगे तथा शाखा की समस्त पत्रावलिया निर्णय हेतु मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन के समुख चैनल से उप निदेशक (प्रवर्तन) द्वारा प्रस्तुत की जायेगी
02.	उप निदेशक (प्रवर्तन)	—	—	—	2	2	प्रवर्तन अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही के समय उप निदेशक (प्रवर्तन) उपस्थित रहेंगे तथा उनके निर्देशन मे अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी तथा इसकी समस्त रिपोर्ट मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन के समक्ष अग्रिम आदेश हेतु रखी जायेगी।
03.	प्रवर्तन अधिकारी	—	—	—	6	6	संबंधित जोन के क्षेत्र मे हो रहे अतिक्रमणो को रोकना तथा हो चुके अतिक्रमणो को हटाने की अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
04.	प्रवर्तन निरिक्षक	6	2	4	6	12	संबंधित जोन क्षेत्र मे हो रहे अतिक्रमणों की शिकायतो को दर्ज करवाना तथा दर्ज प्रकरणो की नियमानुसार जाँच कर जाँच रिपोर्ट प्रवर्तन अधिकारी के सम्मुख रखना तथा डी.ओ भरकर प्रकरण मे नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करना।
05.	क्षेत्र सहायक	—	—	—	18	18	क्षेत्र सहायक अपने संबंधित आवंटित क्षेत्र मे हो रहे अनाधिकृत अतिक्रमणों को रोकना तथा हो चुके अतिक्रमणो को हटाने संबंधित फर्द रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियो के समक्ष उचित कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करना तथा अपने जोन संबंधित फाइलो का संधारण एवं उचित रख-रखाव करना।

अतः प्रवर्तन एवं सतर्कता सेवा हेतु कैडर रिव्यू के संबंध मे उपरोक्तानुसार पदो का जॉब चार्ट तैयार कर प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक मे उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तुत प्रकरण का विस्तृत परीक्षण कर समस्त तथ्यों का समावेश कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

इसके पश्चात् बैठक में उपस्थित निदेशक–आयोजना एवं प्रभारी अधिकारी (स्थापन्न शाखा) ने अवगत कराया कि उनकी शाखा के प्रकरण इस कार्यकारी समिति की बैठक के एजेण्डे में सम्मिलित होने से शेष रह गये हैं जिन्हें टेबल एजेण्डा मानते हुए बैठक में प्रस्तुत किया जाकर निर्णय लिया जाना उचित होगा। इस पर बैठक में सर्व सम्मति से निदेशक–आयोजना एवं प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को टेबल एजेण्डा मानते हुए बैठक में प्रस्तुत कर निर्णय लिये जाने का निर्णय लिया गया। जो इस प्रकार है:–

प्रस्ताव संख्या 13 :: श्री चैनसिंह चम्पावत, सेवानिवृत सहायक भू–प्रबंध अधिकारी की प्राधिकरण में तहसीलदार के रिक्त पद के विरूद्ध समेकित पारिश्रमिक पर संविदा पर सेवाए लेने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्राधिकरण में होने वाली कार्यकारी समिति की आगामी बैठक हेतु एजेन्डा नोट मय पत्रावलियां भिजवाई जा रही हैं।

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा/प्रस्ताव
01.	यह घोषणा की जाती हैं कि प्राधिकरण में तहसीलदार के स्वीकृत चार पदो के विरूद्ध 3 तहसीलदार कार्यरत है, तहसीलदार का एक पद वर्तमान मे रिक्त है इस रिक्त पद के विरूद्ध सेवानिवृत तहसीलदार को प्रतिमाह निर्धारित समेकित पारीश्रमिक पर संविदा पर नियमानुसार लगाये जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत हैं।	एजेण्डा कार्यकारी समिति की बैठक में रखने की अभिशंषा की जाती हैं।

प्राधिकरण में निम्नलिखित सेवानिवृत तहसीलदार को कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ–17 (10) डीओपी/ए–II/94 दिनांक 08.02.2018 के अनुक्रम में प्राधिकरण में तहसीलदार के रिक्त पद के विरूद्ध निम्नलिखित कार्मिक की सेवाए प्रतिमाह समेकित पारिश्रमिक के आधार पर लिये जाने के सम्बन्ध में कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं उचित निणयार्थ प्रस्तुत हैं :–

क्रं.सं.	सेवानिवृत कार्मिक का नाम	सेवानिवृत पदनाम	सेवानिवृत तिथि	जन्म तिथि	रिक्त पद के विरूद्ध
01.	श्री चैनसिंह चम्पावत	भू–प्रबन्ध अधिकारी	31.08.2021	01.09.1961	तहसीलदार

प्राधिकरण मे तहसीलदार के स्वीकृत पदो के विरूद्ध रिक्त पदो पर पदस्थापन राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर द्वारा प्रतिनियुक्ति के माध्यम से किया जाता है, वर्तमान मे प्राधिकरण मे तहसीलदार का एक पद रिक्त है, इस रिक्त पद के विरूद्ध श्री चैन सिह चम्पावत सेवानिवृत तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नियमानुसार संविदा पर नियुक्ति हेतु निवेदन किया गया है

कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के परिपत्र दिनांक 08.02.2018 के अनुसार 65 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत कार्मिको को एक वर्ष या प्राधिकरण की आवश्यकता तक जो भी पहले हो, के लिए निर्धारित पारिश्रमिक पर रखे जाने के सम्बन्ध में प्रकरण कार्यकारी समिति के सम्मुख प्रस्तुत हैं।

प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 14 :: आवेदक द्वारा ले–आउट प्लान संशोधन हेतु आवेदन किये जाने पर ले–आउट प्लान संशोधन शुल्क लिये जाने बाबत्।

निजी विकासकर्ताओं / खातेदार के द्वारा 90 / क की कार्यवाही के उपरान्त जोन स्तर पर राजस्व संबंधित परीक्षण तथा आयोजना शाखा बी.पी.सी. (एल.पी) की बैठक में रखा जाकर ले–आउट प्लान अनुमोदित किया जाता है।

01. प्रायः कुछ विकासकर्ता / खातेदारों द्वारा ले–आउट प्लान अनुमोदन उपरान्त पट्टा जारी करने से पूर्व संशोधन हेतु आवेदन किया जाता है जिसमें प्राधिकरण के अधिकारीयों एवम् कर्मचारियों का समय व्यतीत होता है जिसें अन्य कार्ययों पर विपरीत प्रभाव पडता है।

02. वर्तमान में ले–आउट प्लान संशोधन हेतु कोई शुल्क निर्धारित नही है।

03. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ले–आउट प्लान सं शोधन हेतु 10 / – प्रतिवर्गमीटर की दर से शुल्क लिया जा रहा है। (प्रति संलग्न)

अतः अनुमोदित योजनाओं के संशोधन का प्रस्ताव प्राप्त होने पर आवेदक से योजना क्षेत्र के लिए 10 / – रूपये प्रतिवर्गमीटर की दर से योजना संशोधन हेतु आवेदन शुल्क लिये जाने के संबंध में प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवम् निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया तथा सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को इस संबंध में प्रशासनिक आदेश जारी करने की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(यह कार्यवाही विवरण संबंधित पत्रावली (पत्रावली संख्या बैठक शाखा / 2022 / भाग–14 / (जे0डी0ए0 / एफ0टी0एस0 / 94294) कार्यकारी समिति बैठक निर्धारण पत्रावली) के पैरा संख्या ..11...... / एन पर आयुक्त महोदय के अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जा रहा है। उपरोक्त जारी किये जाने वाले कार्यवाही विवरण के संबंध में किसी भी सदस्य को यदि कोई आपत्ति हो तो वह कार्यवाही विवरण जारी होने के 7 दिवस में इस कार्यालय को अवगत करावें अन्यथा स्थिति में कार्यकारी समिति के निर्णय प्रभावी माने जावेंगे।

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

क्रमांक / बैठक / 2023 / 2037-2056 दिनांक :: 24.02.2023

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

01. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर

02. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर
03. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय/आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
04. निजी सचिव जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
05. निजी सचिव, प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड, जयपुर/ क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको–जोधपुर/बोरानाडा
06- उपाध्यक्ष, राजस्थान स्टेट रियल एस्टेट डवलपमेंट काउन्सिल, (RAJREDCO) 307, पिंक टावर, नेहरू गार्डन के सामने, टोंक रोड, जयपुर
07. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
08. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम (उतर/दक्षिण) जोधपुर
09. उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय/यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर/ पुलिस अधीक्षक–ग्रामीण, जोधपुर
10. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
11. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
12. प्रबन्धक (याता.), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
13. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
14. निदेशक– अभियांत्रिकी/नियोजन/वित्त/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. उपायुक्त–1/2/3/4/5/6/ उपसचिव/ भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. अधीक्षण अभियन्ता–I/II/III, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
18. प्रोग्रामर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
19. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
20. ....

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

परिशिष्ट–1

श्री नवनीत कुमार, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में दिनांक 24 फरवरी, 2023 को मध्यान्ह पश्चात् 4.00 बजे आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

1. श्रीमती आकांक्षा बैरवा, सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर
2. श्री ओ.पी. सुथार, अधीक्षण अभियन्ता (सिटी), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
3. श्री अनिल सोनी, अधिशाषी अभियन्ता एवं तकनीकी सहायक, कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सिटी सर्कल, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
4. श्री जयेन्द्र सिंह मेहता, अधिशाषी अभियन्ता एवं तकनीकी सहायक, कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सिटी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
5. श्रीमती अंशु जैन, सहायक उपायुक्त पुलिस (यातायात), पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर
6. श्री रतनलाल, उप पुलिस अधीक्षक, कार्यालय ग्रामीण पुलिस, जोधपुर
7. श्री रामपाल जमेरिया, प्रबन्धक (प्रशासन) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जोधपुर
8. श्री भानु प्रताप, उप निदेशक, पर्यटन विभाग, जोधपुर
9. श्री दीपक कुमार गुप्ता, अधिशाषी अभियन्ता, नगर निगम, जोधपुर–दक्षिण
10. श्री महेन्द्रसिंह पंवार, निदेशक–अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
11. श्री सुभाष चन्द शर्मा, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. श्री दशरथ कुमार सोलंकी, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. श्री जगदीश प्रसाद, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. श्री रवीन्द्र कुमार, उपायुक्त–3, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. श्री श्रवण सिंह, उपायुक्त–4, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. श्री श्रवण कुमार, उपायुक्त–6, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. श्री प्रकाश चन्द अग्रवाल, उप सचिव, (कार्यवाहक सचिव) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

000
0